



225/1

दूरभाष 2286700
2286710

नया योजना कोड, 10 अशोक मार्ग, जयपुर-220001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 1737 / 05 / 76 / एक / 2015-16
सेवा में

दिनांक : 28 जुलाई 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-अलीगढ़।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,
अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलॉकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विकरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹ में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
बैंक ऑफ बड़ोदा	21610100007478	IFSC Code BARBOMALKHA	76.913

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय फिश्त की धनराशि का प्रेषण
1	अलीगढ़	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० अलीगढ़	मलिन बस्ती लच्छिमपुर में श्री लाखन सिंह के मकान से नेत्रपाल सिंह के मकान तक, श्री चन्द्रपाल के मकान वाली गली, श्री अशोक के मकान से मरघट तक तथा श्री नानक के मकान से कैलाश सिंह के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग टाइल्स सड़क निर्माण कार्य।	11.840
2	अलीगढ़	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० अलीगढ़	मलिन बस्ती लच्छिमपुर में श्री सत्यवीर सिंह से जयवीर सिंह के मकान तक, श्री सत्यवीर के मकान से मलखान सिंह के मकान तक, श्री धर्मपाल के मकान से रामवरुण के मकान तक, मनोज वाली गली तथा श्री सत्यप्रकाश के मकान से निरोत्तम सिंह के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग टाइल्स सड़क निर्माण कार्य।	13.239
3	अलीगढ़	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० अलीगढ़	मलिन बस्ती बीमा नगर सूतमौल चौराहे के पास श्री मेघराम वर्मा के मकान से श्री बद्री प्रसाद के मकान तक, श्री रामकिशोर सिंह के मकान से श्री रूपकिशोर के मकान तक, श्री नथू सिंह के मकान से श्री राजकुमार के मकान तक तथा श्रीमती नीनू के मकान से कालीचरण के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग टाइल्स सड़क निर्माण कार्य।	12.676
4	अलीगढ़	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० अलीगढ़	मलिन बस्ती बीमा नगर में वाल्मीकि मन्दिर से श्री महेश कुमार के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग टाइल्स सड़क निर्माण कार्य।	14.057

W



225/3

दस्तावेज- 2286709
2286710

14 भेदना केन्द्र, 10 अखण्ड मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मागकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजना के लिये किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अतिरिक्त कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की देरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी रांमुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,


(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपि० अभियन्ता-सूडा
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।


(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक



225/2

दूरभाष 2788709
2788710

नव धेतगा केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
5	अलीगढ़	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० अलीगढ़	मलिन बस्ती लखिमपुर में श्री हरी के मकान से मन्दिर तक, भगवान दास के मकान से गनेषी लाल के मकान तक, रामछासाद वैद्य के मकान से इण्टरलॉकिंग रोड तक, अमर सिंह वाली गली, प्रताप सिंह के मकान से चमन लाल के मकान तक, हरपाल के मकान से वीर सिंह तक, चुरामल के मकान से प्रेमवती के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग टाइल्स सड़क निर्माण कार्य।	12.321
6	अलीगढ़	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० अलीगढ़	मलिन बस्ती लखिमपुर में श्री रामप्रसाद वैद्य के मकान से जय सिंह के मकान तक तथा कैलाप सिंह के मकान से लेखराज के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग टाइल्स सड़क निर्माण कार्य।	12.780
	योग				76.913

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलॉकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उपरोक्त सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलॉकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाधयता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-18 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।